

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 24 जनवरी 2023—माघ 4, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2023

क्र. 1437-29-इक्कीस-अ-(प्रा.)—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23 जनवरी, 2023 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २ सन् २०२३

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, २०२२

[दिनांक २३ जनवरी, २०२३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २४ जनवरी, २०२३ को प्रथमवार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, २०२२ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ४९ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ४९ में, उपधारा (७-क) में, खण्ड (ख) में, द्वितीय परंतुक में, शब्द "केन्द्रीय सोसाइटी" के पश्चात्, शब्द "या प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी" अन्तःस्थापित किए जाएं.

धारा ५३ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ५३ में,—

(एक) उपधारा (१) में, द्वितीय परंतुक में, शब्द "केन्द्रीय सोसाइटी" के पश्चात्, शब्द "या प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी" अन्तःस्थापित किए जाएं.

(दो) उपधारा (१२) में, द्वितीय परंतुक में, शब्द "केन्द्रीय सोसाइटी" के पश्चात्, शब्द "या प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी" अन्तःस्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2023

क्र. 1437-29-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, २०२२ (क्रमांक २ सन् २०२३) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 2 OF 2023

THE MADHYA PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2022

[Received the assent of the Governor on the 23rd January, 2023; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 24th January, 2023.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-third year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2022.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. In Section 49 of the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) (hereinafter referred to as the principal Act), in sub-section (7-A), in clause (b), in the second proviso, after the words "Central Society", the words "or Primary Agriculture Credit Co-operative Society" shall be inserted.

**Amendment of
Section 49.**

3. In Section 53 of the principal Act,—

**Amendment of
Section 53.**

- (i) in sub-section (1), in the second proviso, after the words "Central Society", the words "or Primary Agriculture Credit Co-operative Society" shall be inserted.
- (ii) in sub-section (12), in the second proviso, after the words "Central Society", the words "or Primary Agriculture Credit Co-operative Society" shall be inserted.